25-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित राज पैरोकार उपस्थित जवाब रीडर पेश किया गया शामिल पत्रावली किया। प्रकरण में राजीनामा होने से तनकीयात कायम नहीं पाये जाने पर वादी की ओर साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7-10-19 को पेश हो।

7-10-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद बाबत मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

10-10-19 वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 7-10-19 की पालना में डिक्री जारी करवाने हेतु स्टाम्प पेश जो शामिल किया जाकर डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई है।

न्यायालय उपखण्
पीठासीन अधिकारी :–
राजस्व वाद संख्या :–
1 बलकार सिंह
ग्राम, तहसील
1 विचित्र सिंह
2 गुरमीत कौर
3 छिन्द्रपाल क
4 खुशप्रीत कौ
5 तहसीलदार
दावा अन्तर्ग
1. श्री अनिल
2. श्री रामकु
3. राज पैरो
वादी द्व
इस न्यायालय
10 एम.ओ.डी.
17, 24, 25,
53/273 (39)
(40) किला न
संलग्न वाद
वाद
कृषि भूमि है
प्रतिवादीगण
(क) वादी
52,
इसी
(ख) प्रति
पत
प्रा
(ग) प्र
(घ)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 178/2019

1 बलकार सिंह पुत्र विचित्र सिंह, जाति जट सिख, निवासी 10 एम.ओ.डी. डबली बास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 विचित्र सिंह पुत्र चनण सिंह
2 गुरमीत कौर पत्नी विचित्र सिंह
3 छिन्द्रपाल कौर पत्नी बलकार सिंह
4 खुशप्रीत कौर पुत्री विचित्र सिंह पत्नी कुलदीप सिंह

} जाति जट सिख निवासी 10 एम.ओ.डी. डबली बास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता — वादी
2. श्री रामकुमार खटोड अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 5

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 07.10.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता के नाम चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72 के पत्थर नम्बर 52/272 (35) किला नम्बर 16, 17, 24, 25, पत्थर नम्बर 52/273 (58) किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 15, 16, पत्थर नम्बर 53/273 (39) किला नम्बर 1, 2, 3, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13/1, पत्थर नम्बर 54/273 (40) किला नम्बर 20/2 कुल 4.617 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रमाणित जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी एवम् प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मतः पैतृक हक हिस्सा निहित है जिसमें वादी एवम् प्रतिवादीगण ने निम्नानुसार बटवारा कर रखा है :–

(क) वादी बलकार सिंह को 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 52/273 (38) किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 15, 16 कुल 1.518 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 विचित्र सिंह को चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 52/272 (35) किला नम्बर 16, 17, 24, 25 कुल 1.012 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 गुरमीत कौर को चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 53/273 (39) किला नम्बर 1, 2, 3, 8/2, पत्थर नम्बर 54/273 (40) किला नम्बर 20/2 कुल 0.948 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(घ) प्रतिवादी संख्या 3 छिन्द्रपाल कौर को चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 53/273 (39) किला नम्बर 9, 10, 11, 12, 13/1 कुल 1.039 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र की मद संख्या 4 के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इसलिए वादी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की मद संख्या 4 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे।

वादी ने कई दफा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वाद पत्र की मद संख्या 4 के अनुसार वादी को मुताबिक कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार मान लो व खाता तकसीम करवा दो तो पहले तो टाल मटोल करते रहे, गत सप्ताह इन्कार हो गए, यही वाद कारण है।

वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वादी को चक 10 एम.ओ.डी. के पत्थर नम्बर 52/273 (38) किला नम्बर 4, 5, 6, 7 15, 16 कुल 1.518 हैक्टा की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार खाता प्रतिवादीगण से अलग कायम किया जावे।

(ख) खर्चा वाद प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 06.09.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान की पैतृक भूमि चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72 के पत्थर नम्बर 52/272 (35) किला नम्बर 16, 17, 24, 25, पत्थर नम्बर 52/273 (38) किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 15, 16, पत्थर नम्बर 53/273 (39) किला नम्बर 1, 2, 3, 8/2/.126, 9, 10, 11, 12, 13/1/.127, पत्थर नम्बर 54/273 (40) किला नम्बर 20/2/.063 कुल 4.617 है. भूमि जो कि द्वितीय पक्षकार संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रथम पक्षकार एवम् द्वितीय पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रथम पक्षकार का जन्मतः पैतृक हक हिस्सा निहित है जिसमें प्रथम पक्षकार एवम् द्वितीय पक्षकारान ने निम्नानुसार बंटवारा कर रखा है :–

(क) प्रथम पक्षकार बलकार सिंह को 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 52/273 (38) किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 15, 16 कुल 1.518 हैक्टर भूमि मय गैर मुमकिन खाला रास्ता व चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 53/273 (39) किला नम्बर 9, 10, 11, 12, 13/1/.127 कुल 1.139 हैक्टर भूमि कुल = 2.657 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(ख) द्वितीय पक्षकार संख्या 1 विचित्र सिंह को चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 52/272 (35) किला नम्बर 16, 17, 24, 25 कुल 1.012 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

लगातार 3

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(ग) द्वितीय पक्षकार संख्या 2 गुरमीत कौर को चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 53/273 (39) किला नम्बर 1, 2, 3, 8/2/.126, पत्थर नम्बर 54/273 (40) किला नम्बर 20/2/.063 कुल 0.948 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

द्वितीय पक्षकार संख्या 4 ने वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि में अपने पैतृक हक हिस्सा को प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार संख्या 1 ता 3 के हक में परित्याग कर दिया है, इसके बाद अप्रार्थी संख्या 4 का कोई हक हिस्सा उक्त भूमि में शेष नहीं है। यदि द्वितीय पक्षकार संख्या 4 का हिस्सा का प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार संख्या 1 ता 3 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो द्वितीय पक्षकार संख्या 4 को कोई उज्र एतराज नहीं है।

पक्षकार संख्या 4 को यदि मुताबिक वाद वादी एवं प्रतिवादी का क्लेम वाद डिक्री किया जाता है तो कोई उज्र एतराज नहीं है। राजीनामा पक्षकारान द्वारा सहमति से बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो हवास में श्रीमान न्यायालय के समक्ष आकर किया जा रहा है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार कर निम्न प्रकार से वाद डिक्री किया जावे :–

(क) प्रथम पक्षकार बलकार सिंह को 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 52/273 (38) किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 15, 16 कुल 1.518 हैक्टर भूमि व चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 53/273 (39) किला नम्बर 9, 10, 11, 12, 13/1/.127 कुल 1.139 हैक्टर भूमि कुल = 2.657 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) द्वितीय पक्षकार संख्या 1 विचित्र सिंह को चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 52/272 (35) किला नम्बर 16, 17, 24, 25 कुल 1.012 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ग) द्वितीय पक्षकार संख्या 2 गुरमीत कौर को चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 53/273 (39) किला नम्बर 1, 2, 3, 8/2/.126, पत्थर नम्बर 54/273 (40) किला नम्बर 20/2/.063 कुल 0.948 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादी वाद पत्र डिक्री किया जाता है, तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से साक्ष्य वादी लिये जाकर बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरानें बहस राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा

लगातार 4

Scanned by CamScanner

सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वादी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वांद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद में वर्णित भूमि चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72 की 4.617 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 को 2.657 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 को 1.012 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 0.948 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत उनकी खातेदारी भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी बलकार सिंह पुत्र विचित्र सिंह, जाति जट सिख, निवासी 10 एम.ओ.डी. डबली बास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :– 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 52/273 (38) किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 15, 16 कुल 1.518 हैक्टर व पत्थर नम्बर 53/273 (39) किला नम्बर 9, 10, 11, 12, 13/1/.127 कुल 1.139 हैक्टर कुल 2.657 हैक्टर भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 1 विचित्र सिंह पुत्र चनणसिंह जाति जट सिख, निवासी 10 एम.ओ.डी. डबली वास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :– चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 52/272 (35) किला नम्बर 16, 17, 24, 25 कुल 1.012 हैक्टर भूमि।
3. प्रतिवादी संख्या 2 गुरमीत कौर पत्नी विचित्र सिंह जाति जट सिख, निवासी 10 एम. ओ.डी. डबली बास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :– चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100/72, पत्थर नम्बर 53/273 (39) किला नम्बर 1, 2, 3, 8/2/.126, पत्थर नम्बर 54/273 (40) किला नम्बर 20/2/.063 कुल 0.948 हैक्टर भूमि।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डअधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 5

Scanned by CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 07.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पीठासीन अधिकारी :— कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 178 / 2019

1 बलकार सिंह पुत्र विचित्र सिंह, जाति जट सिख, निवासी 10 एम.ओ.डी. डबली बास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — वादी

—:: बनाम ::—

1 विचित्र सिंह पुत्र चनण सिंह
2 गुरमीत कौर पत्नी विचित्र सिंह
3 छिन्द्रपाल कौर पत्नी बलकार सिंह
4 खुशप्रीत कौर पुत्री विचित्र सिंह पत्नी कुलदीप सिंह

जाति जट सिख निवासी 10 एम.ओ.डी. डबली बास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़। — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :— 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :— 07.10.2019

वादी की और से श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की और श्री रामकुमार खटोड़ अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 5 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 10.10.19 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद में वर्णित भूमि चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100 / 72 की 4.617 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 को 2.657 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 को 1.012 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 0.948 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत उनकी खातेदारी भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :—

1. वादी बलकार सिंह पुत्र विचित्र सिंह, जाति जट सिख, निवासी 10 एम.ओ.डी. डबली बास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :— 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100 / 72, पत्थर नम्बर 52 / 273 (38) किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 15, 16 कुल 1.518 हैक्टर व पत्थर नम्बर 53 / 273 (39) किला नम्बर 9, 10, 11, 12, 13 / 1 / .127 कुल 1.139 हैक्टर कुल 2.657 हैक्टर भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 1 विचित्र सिंह पुत्र चनणसिंह जाति जट सिख, निवासी 10 एम.ओ.डी. डबली बास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :— चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100 / 72, पत्थर नम्बर 52 / 272 (35) किला नम्बर 16, 17, 24, 25 कुल 1.012 हैक्टर भूमि।
3. प्रतिवादी संख्या 2 गुरमीत कौर पत्नी विचित्र सिंह जाति जट सिख, निवासी 10 एम. ओ.डी. डबली बास पेमा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :— चक 10 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 100 / 72, पत्थर नम्बर 53 / 273 (39) किला नम्बर 1, 2, 3, 8 / 2 / .126, पत्थर नम्बर 54 / 273 (40) किला नम्बर 20 / 2 / .063 कुल 0.948 हैक्टर भूमि।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

Scanned by CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 10.10.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.02 13:43:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: